CHILD RIGHTS

This year, the Department of Posts and UNICEF joined hands to hold a Stamp Design Contest on Child Rights. This contest served the twin objectives of raising awareness on the subjects of Child Rights as well as Philately among children. The genesis of this collaboration came on one hand from the fact that every year India Post celebrates Children's Day through the release of Commemorative Postage Stamps and on the other hand from the fact that the year 2019 marks the 30th Anniversary of the United Nations Convention of the Rights of the Child (CRC) and 70 years of UNICEF's presence in India. The Stamp Design Contest was held from 7 August to 30 September, 2019 and the prize-winning entries have been adapted as stamps to celebrate Children's Day.

Millions of children the world over, are abandoned. They do not get a chance to step into a school. They are left to fend for themselves on the streets. They suffer from many forms of abuse. They do not have access to even primary health care. They are subjected to cruel and inhuman treatment every day. They are children – innocent, young and beautiful – who are deprived of their rights.

The League of Nations adopted the Geneva Declaration of the Rights of the Child (1924) which enunciated the child's right to receive the requirements for normal development, the right of the hungry child to be fed, the right of the sick child to receive health care, the right of the backward child to be reclaimed, the right of orphans to shelter and the right to protection from exploitation.

The United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948) in Article 25(2) recognized the need of motherhood and childhood to "special protection and assistance" and the right of all children to "social protection." The United Nations General Assembly adopted the United Nations Declaration of the Rights of the Child (1959), which enunciated the key principles for the protection of children's rights.

Thirty years ago, world leaders made a historic commitment to the world's children by adopting the United Nations Convention on the Rights of the Child – an international agreement on childhood. It's become the most widely ratified human rights treaty in history and has helped transform children's lives around the world. The Convention defines Child Rights as the minimum entitlements and freedoms that should be afforded to every citizen below the age of 18 regardless of race, national origin, colour, gender, language, religion, opinions, wealth, birth status, disability or other characteristics. The Convention classifies the fundamental rights that should be afforded to children into four broad categories:

Right to Survival: Right to be born, minimum standards of food, shelter and clothing, right to live with dignity and access to health care, to safe drinking water, nutritious food, a clean and safe environment and information to help them stay healthy. Children have the right to an adequate standard of living, education and services and to play and recreation.

Right to Protection: Right to be protected from all sorts of violence, neglect, physical and sexual abuse and dangerous drugs. This includes the right to safe places for children to play; constructive child rearing behavior and acknowledgment of the evolving capacities of children.

Right to Participation: Right to freedom of opinion, freedom of expression, freedom of association, information and participation in any decision making that involves him/her directly or indirectly. Children have the right to participate in communities and have programs and services for themselves. This includes children's involvement in libraries and community programs, youth voice activities etc.

Right to Development: Right to education, to learn, relax and play and all forms of overall development – emotional, mental and physical. In the modern context, this includes skill development and equipping every child to prepare for a sustainable future.

As part of the Contest, children of classes I to XII were invited to draw/ paint/ sketch their ideas on the theme of "Child Rights". Eight prizes were announced i.e. First Prize of Rs. 50000, Second Prize of Rs. 25000, Third Prize of Rs. 10000 and five Consolation Prizes of Rs. 5000 each. Based on the selected entries, philatelic items viz. Stamps, Miniature Sheet, First Day Cover, Brochure are designed and are being released on the occasion of Children's Day 2019. The first three winners are Ms. Nidhi Rahul Mhatre, Ms. Vibhushi Agarwal and Ms. Deepali Midha. Five consolation winners are Master Rupam Mahanty, Ms. Vaidehi Vikas Shirsath, Ms. Arya Thapa, Master Sarvesh Suresh Joshi and Ms. Kratika Chittoriya.

India Post is happy to issue this set of two stamps on Child Rights to celebrate Children's Day, 2019 and to mark the 30th Anniversary of the United Nations Convention of the Rights of the Child (CRC) as well as 70 years of the presence of UNICEF in India.

Credits:

Stamp/Miniature Sheet/FDC/ Brochure/Cancellation Cachet : Smt. Alka Sharma

Text : Sh. Pallab Bose

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts India

बाल अधिकार CHILD RIGHTS
बाल दिवस CHILDREN'S DAY

विवरणिका BROCHURE

बाल अधिकार

इस वर्ष, डाक विभाग और यूनीसेफ बाल अधिकारों पर एक डाक टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक साथ आगे आए। इस प्रतियोगिता ने बच्चों के बीच फिलैटली के साथ–साथ बाल अधिकारों के विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति की। इस सहयोग की शुरुआत इस कार्य से भी आरंभ हुई कि भारतीय डाक प्रति वर्ष स्मारक डाक–टिकट जारी कर बाल दिवस मनाता है और साथ ही वर्ष 2019 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (सीआरसी) की 30 वीं वर्षगांठ और भारत में यूनीसेफ की 70 साल की उपस्थिति का प्रतीक है। यह डाक–टिकट डिजाइन प्रतियोगिता दिनांक 7 अगस्त, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता की पुरस्कृत प्रविष्टियों को बाल दिवस के अवसर पर डाक–टिकटों के रूप में जारी किया जा रहा है।

विश्वभर में लाखों बच्चों को त्याग दिया जाता है। उन्हें स्कूल में प्रवेश करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। उन्हें अपनी खुद की देखभाल करने के लिए गलियों में छोड़ दिया जाता है। उनके साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। यहां तक कि उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक भी पहुँच नहीं होती है। ऐसे बच्चों के साथ प्रतिदिन क्रूर और अमानवीय व्यवहार किये जाते हैं। ये बच्चे निर्दोष, युवा और सुंदर होते हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित होते हैं।

राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों के जिनेवा घोषणा (1924) को अपनाया जिसमें सामान्य विकास के लिए आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु बच्चे का अधिकार, भूखे बच्चे को खिलाए जाने का अधिकार, बीमार बच्चे को स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनिच्छुक बच्चे को फिर से मांगे जाने का अधिकार, अनाथ बच्चों को आश्रय का अधिकार और बच्चों को शोषण से बचाव का अधिकार शामिल था।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 25 (2) में मातृत्व और बचपन की आवश्यकता को "विशेष सुरक्षा एवं सहायता" और सभी बच्चों के अधिकार को "सामाजिक सुरक्षा" के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा (1959) को अपनाया जिसमे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। तीस वर्ष पहले, विश्व के नेताओं ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन – बचपन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाकर दुनिया के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। यह इतिहास में सबसे व्यापक प्रमाणित मानवाधिकार संधि बन गई है और इस संधि ने दुनिया भर में बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद की है। संधि पत्र (कन्वेंशन) बाल अधिकारों को न्यूनतम अधिकार, पात्रता और स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करता है जिसे 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, राष्ट्रीयता, मूल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, मत, संपत्ति, जन्म स्थिति, दिवयांगता अथवा अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना मुहैया कराये जाने चाहिए। संधि पत्र (कन्वेंशन) मौलिक अधिकारों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है जो बच्चों को हर परिस्थिति में मिलने चाहिए :

जीवन का अधिकार: जन्म का अधिकार, न्यूनतम मानकों के अनुसार भोजन, आश्रय और कपड़ों के साथ–साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण और स्वस्थ रहने हेतु उचित जानकारी। बच्चों को पर्याप्त मानकों के अनुसार जीवन यापन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सेवाओं तथा खेलने और मनोरंजन का अधिकार है।

सुरक्षा का अधिकार: सभी प्रकार की हिंसा, उपेक्षा, शारीरिक और यौन शोषण तथा मादक दवाओं से बचाव का अधिकार। इसमें बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थानों; रचनात्मक बाल सुलभ लालन–पालन व्यवहार और बच्चों की विकसित क्षमताओं को अभिस्वीकृत करने का अधिकार शामिल है।

प्रतिभागिता का अधिकार: अपनी राय रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मित्रता, साहचर्य की स्वतंत्रता, सूचना और किसी भी निर्णय लेने में भागीदारी जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बच्चों को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और उनके लिए कार्यक्रम और सेवाएं होनी चाहिए। इसमें पुस्तकालयों और सामुदायिक कार्यक्रमों, युवाओं की आवाज से जुड़े क्रियाकलापों आदि में बच्चों की भागीदारी शामिल है।

विकास का अधिकार: शिक्षा, सीखने, आराम और खेलने का अधिकार तथा भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक– हर प्रकार से समग्र विकास। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इसमें कौशल विकास शामिल है और प्रत्येक बच्चे को एक स्थायी भविष्य के लिए तैयार करने हेतु इन्हें समर्थ बनाना है।

प्रतियोगिता के भाग के रूप में, पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के बच्चों को "बाल अधिकार" विषय पर अपने विचार आरेखित/चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आठ पुरस्कारों की घोषणा की गई यथा प्रथम पुरस्कार 50000/– रुपए, दूसरा पुरस्कार 25000/– रुपए और 10000/– रुपए का तीसरा पुरस्कार तथा 5000/– रुपए प्रत्येक के पांच सांत्वना पुरस्कार। चयनित प्रविष्टियों के आधार पर, फिलैटली से जुड़ी सामग्री जैसेकि डाक टिकट, मिनियेचर शीट, प्रथम दिवस आवरण, विवरणिका डिजाइन की गई हैं, जिन्हें बाल दिवस 2019 के अवसर पर जारी किया जाएगा। प्रथम तीन पुरस्कार विजेता सुश्री निधि राहुल म्हात्रे, सुश्री विभूषी अग्रवाल और सुश्री दीपाली मिढा हैं। पांच सांत्वना पुरस्कार विजेता मास्टर रूपम महंती, सुश्री वैदेही विकास शिरसठ, सुश्री आर्या थापा, मास्टर सर्वेश सुरेश जोशी और सुश्री कृतिका चित्तोरिया हैं।

भारतीय डाक, बाल दिवस, 2019, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (सीआरसी) की 30 वीं वर्षगांठ के साथ–साथ भारत में यूनीसेफ की उपस्थिति के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बाल अधिकार विषय पर दो डाक टिकटों का सेट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक टिकट / मिनियेचर शीट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका / विरूपण कैशे : श्रीमती अलका शर्मा

पाठ : श्री पल्लव बोस

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 1500 पैसे (2)
Denomination	: 1500 p (2)
मुद्रित डाक टिकटें	: 500000 प्रत्येक
Stamps Printed	: 500000 each
मुद्रित मिनियेचर शीट्स	: 110000
Miniature sheets printed	: 110000
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at
http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य: ₹ 5.00